भारत सरकार

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 2030

जिसका उत्तर 17.12.2025 को दिया जाना है

वाहन मालिकों द्वारा झूठे वैध पार्किंग के शपथ पत्र

2030 श्री नीरज डांगी:

क्या सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या यह सच है कि देश में चार पहिया वाहन खरीदने वाले लोगों को गाड़ी के पंजीकरण के समय एक शपथ-पत्र देना होता है जिसमें यह दावा किया जाता है कि उनके पास वैध पार्किंग की सुविधा की उपलब्ध है;

(ख) क्या यह भी सच है कि देश में वाहन विक्रेता डीलरों द्वारा वाहन खरीदने वाले व्यक्तियों से यह शपथ पत्र लिया जाता कि उन्होंने वैध पार्किंग की व्यवस्था कर ली है; और

(ग) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि कई वाहन मालिक वैध पार्किंग की व्यवस्था उपलब्ध होने के झूठे शपथ पत्र देकर वाहन पंजीकरण करवा रहे हैं, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री
(श्री नितिन जयराम गडकरी)

(क) से (ग) मोटर यान अधिनियम, 1988 की धारा 70(1)(ङ) के अनुसार, स्टेज कैरिज के संबंध में परमिट के लिए आवेदन में वाहनों के रखने की व्यवस्था, अनुरक्षण और मरम्मत, यात्रियों के आराम और सुविधा तथा सामान के भंडारण और सुरक्षित अभिरक्षा के लिए किए जाने वाले प्रबंधों का विवरण निर्दिष्ट किया जाना अनिवार्य है।

अधिनियम की धारा 77(घ) के अनुसार माल ढुलाई के लिए मोटर वाहन का उपयोग करने की अनुमति हेतु आवेदन में वाहन के रखने की व्यवस्था, अनुरक्षण और मरम्मत तथा माल के भंडारण और सुरक्षित अभिरक्षा के लिए किए जाने वाले प्रबंधों का विवरण निर्दिष्ट किया जाना अनिवार्य है।

अधिनियम की धारा 117 के अनुसार, राज्य सरकार या राज्य सरकार द्वारा इस संबंध में अधिकृत कोई भी प्राधिकरण, संबंधित क्षेत्र में अधिकार क्षेत्र रखने वाले स्थानीय प्राधिकरण के परामर्श से, उन स्थानों का निर्धारण कर सकता है जहां मोटर वाहन अनिश्चित काल के लिए या एक निर्दिष्ट अवधि के लिए खड़े हो सकते हैं, और उन स्थानों का निर्धारण कर सकता है जहां सार्वजनिक सेवा वाहन यात्रियों को लेने और छोड़ने के लिए आवश्यक समय से अधिक समय तक रुक सकते हैं।

इसके अतिरिक्त, केंद्रीय सरकार की भूमिका मोटर यान अधिनियम, 1988 में निहित प्रावधानों के अनुसार केंद्रीय मोटर यान नियमावली, 1989 के अंतर्गत नियम/विनियम अधिसूचित करना है। मोटर यान अधिनियम, 1988 के प्रावधानों और केंद्रीय मोटर यान नियमावली, 1989 के तहत बनाए गए नियमों का कार्यान्वयन, जिसमें पार्किंग की स्थिति भी शामिल है, राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के संबंधित अधिकारियों के अधिकार क्षेत्र में आता है।

*****